बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय)

निजी क्षेत्रों में Large goat farm (100 बकरी+5 बकरा क्षमता) की स्थापना पर सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति के लाभुकों हेतु क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम क्रमशः रू0 5.00 लाख/6.00 लाख) योजना अन्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन

- **योजना–** वित्तीय वर्ष 2018–19 में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अन्तर्गत
- **योजना लागतः–** **रू0 10.00 लाख** प्रति बकरी फार्म
- **कार्य क्षेत्र–** योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में।
- **उद्देश्य –** इस योजना का उद्देश्य बकरीपालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं स्वरोजगार का सृजन करना।
- **आवेदन–** विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 60 दिनों तक आवेदन समर्पित किये जा सकते है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से क्रमशः 15वें, 30वें, 45वें तथा 60वें दिन तक प्राप्त _अवेदन के संबंध में चार चरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयन की कार्रवाई की जाएगी। चयन के निर्धारित लक्ष्य के प्राप्ति के उपरान्त आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएगें। इच्छुक किसान/उद्यमी/बकरी पालक (100 बकरी + 5 बकरा क्षमता) के बकरी फार्म हेतु विभागीय वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने **आधार संख्या/वोटर आई0 डी0 कार्ड संख्या** से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछितकागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा, जो निम्न हैः–

भूमि	वांछित भूमि (9000 वर्गफीट) का लगान रसीद/एल0पी0सी0/लीज का एकरारनामा/नजरी नक्शा
राशि	पासबुक/एफ0डी0/राशि से संबंधित अन्य साक्ष्य (**स्वलागत हेतु रू0 2 लाख एवं बैंक ऋण हेतु रू0 1 लाख का साक्ष्य**)
प्रशिक्षण	बकरी पालन में प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति	जाति प्रमाण पत्र
अन्य	फोटो/आधार/वोटर आई0डी0/पैन/ आवास प्रमाण पत्र

- **चयन–** वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत योजना एवं **कार्यान्वयन अनुदेश** *(प्रस्तावित) के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- **प्राथमिकताएँ–** लाभुकों का चयन **''पहले आओ, पहले पाओ''** के आधार पर किया जायेगा। लाभुक के चयन में **स्वलागत** से बकरी फार्म स्थापित करने तथा **बकरी पालन में प्रशिक्षण** प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- **ऋण/ स्वलागत–** आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा।

लक्ष्य/रिक्तियाँ–

क्र0 सं0	कोटि	रिक्तियें की संख्या	योजना का क्रियान्वयन
1	साामान्य कोटि	30	संपूर्ण राज्य
2	अनुसूचित जाति	10	संपूर्ण राजय

*विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक, पशुपालन, बिहार